NBT
नवभारत टाइम्स

बड़े ब्रैंड का नाम लगाकर बेचते थे नकली घी, नहीं मिली जमानत

Used To Sell Big Brand Name Fake Ghee, No Bail Was Found

Navbharat Times | Updated: 19 Aug 2019, 08:00:00 AM IST

रोहिणी कोर्ट : देसी घी खरीदते वक्त ज्यादा सतर्क रहें। ब्रैंड के नाम को ही न देखें, उसकी असलियत भी चेक करें। वरना, आप भी उस गिरोह का शिकार हो सकते हैं, जो देसी घी के बड़े ब्रैंड की आड़ में आपके घरों तक 'स्लो पॉइजन' पहुंचा रहे हैं। बड़े ब्रैंड के रैपर के अंदर आपको घटिया और मिलावटी घी बेचा जा रहा है। ऐसा घी जिसे खाने से सेहत नहीं बनती, फेफड़ों की गंभीर बीमारी लग जाती है। इस चौंकाने वाली सचाई का खुलासा उस वक्त हुआ, जब अदालत में एक गिरोह से जुड़े होने के दो आरोपी जमानत के लिए पहुंचे। इनमें से एक कथित तौर पर ऐसे नकली घी का निर्माता और दूसरा डिस्ट्रिब्यूटर है। दोनों की जमानत याचिका अदालत ने ठुकरा दी।

अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट एकता गाबा मान ने पवन गुप्ता और चंदन नाम के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और सहआरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है, क्योंकि निश्चित रूप से यह एक गिरोह से जुड़ा अपराध है। अदालत ने फिलहाल केस के मेरिट को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। मामले में गुप्ता 11 अगस्त और चंदन 10 अगस्त से हिरासत में हैं। दोनों के खिलाफ पुलिस ने फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के साथ कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के लिए आईपीसी के तहत 420(धोखाधड़ी) व अन्य अपराधों का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि साजिश के तहत गुप्ता अपनी फैक्टरी में नकली घी तैयार कर उसे बड़े ब्रैंड के जाली रेपर में पैक करवाता और बेचने के लिए चंदन को देता। गुप्ता के पास से 264 किलो और चंदन के पास से 198 किलो घी और बड़े ब्रैंड के रैपर बरामद होने का दावा किया गया। पीड़ित ब्रैंड की ओर से मिली शिकायत पर पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि आरोपियों द्वारा बेचा जा रहा कथित नकली घी 'स्लो पॉइजन' की तरह है, जो अस्थमा के रोगियों और अन्य के फेफड़ों के लिए खतरनाक है। मामला तब और गंभीर बन गया, जब आरोपी ने उनके घी के संबंध में कुछ दावे किए। गुप्ता के वकील ने अदालत में कहा कि उनका क्लाइंट सिर्फ 'महक' नाम से घी बनाता है, उसके रेपर पर यही नाम लिखा है, जो पूजा और हवन में इस्तेमाल के लिए है और वह कोई नकली घी नहीं है। वकील ने आगे बताया कि उसका क्लाइंट 'महक' नाम से जो घी बेच रहा है, उसका आउटर दिल्ली में एक बड़ा बाजार है और उसका क्लाइंट भी इसी प्रतिस्पर्धा में शामिल है। इन दावों की पुष्टि के लिए पेश रैपर को अदालत ने रेकॉर्ड पर ले लिया। अदालत को कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं मिला कि वह घी इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं है।

Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other-news/used-to-sell-big-brand-name-fake-ghee-no-bail-was-found/articleshow/70727693.cms